1113

भारत INDIA INDIA INDIA INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES RUPEES FIVE RUPEES

109

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर
केम्प भोपाल म0प्र0

51

प्रकरण कमांक
निगरानी – 4724/2018/सीहोर/भू.रा.

रमेश पिता मांगीलाल प्रजापति आयु लगभग 40 वर्ष
निवासी व कृषक ग्राम हसनाबाद
तहसील व जिला सीहोर।...निगरानीकर्ता

विरूद्ध

रामसिंह आ0 श्री आत्माराम जाति खाती
आयु लगभग 47 वर्ष निवासी ग्राम हसनाबाद
तहसील व जिला सीहोर।...प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 12/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 पारित द्वारा तहसीलदार सीहोर।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से दुखी असंतुष्ट, एवं व्यथित होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी जानकारी दिनांक से निर्दिष्ट न्याय शुल्क पर समयावधि में प्रस्तुत है :-

-: अपील के तथ्य :-

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सीहोर के समक्ष म0प्र0 भूराजस्व संहिता 129 के अंतर्गत अपने स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 54/2 रकबा 2.926 हैक्टेयर लगान 4.46 रूपये स्थित ग्राम हसनाबाद का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2018 को प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2018 को सीमांकन किये जाने हेतु आदेश राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी को दिये गये।

2. यह कि राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा माननीय अधिनस्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4724/2018/सीहोर/भू-रा. जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सीहोर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-04-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सीहोर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 29-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	